न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या 1 प्रयागराज।
उपस्थितः राम प्रताप सिंह राणा ... ... उच्चतर न्यायिक सेवा।

(J.O.Code-U.P.6279)

सिविल पुनरीक्षण संख्या– 152 सन 2025

CNR No.UPAD–01–011911–2025

राजपति देवी पत्नी मूलचन्द्र,
निवासिनी ग्राम मलेथुआ, संदलपुर, परगना मह, तहसील हण्डिया, जनपद–प्रयागराज।
------ पुनरीक्षणकर्ता/वादिनी।

–प्रति–

रामजतन पुत्र अमृतलाल,
निवासी ग्राम सुदानीपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज।
------ प्रत्यर्थी/प्रतिवादी।

निर्णय

1. यह सिविल पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता–वादिनी द्वारा विद्वान सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) एफ.टी.सी., प्रयागराज द्वारा मूल वाद संख्या–272 सन 1993, राजपति –प्रति– रामजतन में वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 77 ग को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांकित 09.10.2025 के विरुद्ध संस्थित किया गया है।

2. विद्वान सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) एफ.टी.सी., प्रयागराज द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 09.10.2025 से वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 77 ग को निरस्त किये जाने तथा पत्रावली पर संलग्न कमिश्नर आख्या 13 ग को साक्ष्याधीन पुष्ट किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

3. पुनरीक्षणकर्ता–वादिनी एवं प्रत्यर्थी–प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पुनरीक्षण एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

4. पुनरीक्षणकर्ता–वादिनी द्वारा संस्थित पुनरीक्षण के तथ्य है कि मूलवाद सं.272/1993, राजपति देवी –प्रति– रामजतन वादिनी राजपति देवी की ओर से विवादित सम्पति के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा आदेश एवं वाद लाम्बन काल में विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादी द्वारा किये गये निर्माण को ध्वस्त करने के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। प्रतिवादी के मौखिक साक्ष्य के उपरान्त वादिनी की ओर से

प्रार्थनापत्र 76 ग, पत्रावली पर उपलब्ध कमिश्नर आख्या 13 ग को निस्तारित किये जाने तथा प्रार्थना पत्र 77 ग विवादित सम्पत्ति का पुनः न्यायालय अमीन या कमिश्नर आख्या मंगाये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये थे। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 77 ग के विरुद्ध आपत्ति 79 ग प्रस्तुत की गयी। अवर न्यायालय द्वारा कमिश्नर आख्या 13 ग के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 76 ग पर सुना गया था किन्तु आलोच्य आदेश पारित करने हुए पक्षकारों को बिना सुने ही प्रार्थना पत्र 77 ग एवं आपत्ति 79 ग को निस्तारित कर दिया गया है। पुनरीक्षणकर्ता–वादिनी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में यह आधार अभिकथित किये गये हैं। अवर न्यायालय द्वारा विचार में लिये गये तथ्य विधि विरुद्ध हैं, अवर न्यायालय का यह अभिमत गलत है कि वादिनी ने साक्ष्य संग्रहण के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। वाद की परिस्थितियों के अन्तर्गत वादिनी ने वादग्रस्त सम्पत्ति के स्पष्टीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विचार किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय ने कमिश्नर आख्या 13 ग के निस्तारण के उपरान्त पक्षकारों को अग्रेतर साक्ष्य का अवसर न देकर गम्भीर विधिक भूल की है। पुनरीक्षणकर्ता–वादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र 77 ग के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश अपास्त करने तथा पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

5. प्रत्यर्थी–प्रतिवादी की ओर से आपत्ति 13 ग समर्थित शपथपत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि पुनरीक्षण अंतरवर्ती आदेश के विरुद्ध दाखिल किया है। अंतरवर्ती आदेश के विरुद्ध इसलिए पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है, अतः पुनरीक्षण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। वादिनी प्रार्थना पत्र 77 ग के माध्यम से साक्ष्य संग्रहीत करना चाहती है। जबकि मुकदमें में सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त होकर अन्तिम बहस में कई वर्षों से चल रहा है। आलोच्य आदेश विधि विधान के अनुसार तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत पारित किया गया है। आलोच्य आदेश में साक्ष्य संकलन के सम्बन्ध में दिया गया अभिमत बिल्कुल सही है। पुनरीक्षण किसी भी दशा में पोषणीय नहीं है एवं पुनरीक्षणकर्ता अनुतोष को पाने की अधिकारी नहीं है। अतः पुनरीक्षण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. पुनरीक्षणकर्ता–वादिनी द्वारा प्रति–आपत्ति 15 ग प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आलोच्य आदेश अंतरवर्ती आदेश नहीं है बल्कि अंतिम आदेश है। प्रार्थना पत्र वास्ते नियुक्त कमिश्नर अथवा सरकारी अमीन हेतु इस आशय से दिया गया है कि उनकी आख्या प्रार्थना पत्र में दिये गये कथनों के अनुसार प्राप्त की जाये जिससे मुकदमें का उचित एवं विधि के अनुसार निर्णय किया जा सके। पुनरीक्षणकर्ता अपने पुनरीक्षण में दर्शाये गये कथनों की पुष्टि करती है। वाद में अभी दि. 01.07.2025 को प्रतिवादी का साक्ष्य समाप्त हुआ है तथा दि. 30.08.2025 को ही कमीशन नियुक्त करने

का प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 1993 से वाद का लम्बित रहने में वादिनी दोषी नहीं है। फिर भी इस स्तर पर ही प्रार्थना पत्र देना ज्यादा उचित है।

7. अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से प्रकट होता है कि मूलवाद सं.272/1993, राजपति देवी –प्रति– रामजतन, वादिनी राजपति देवी की ओर से विवादित सम्पति, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर ग, घ, च, छ से दर्शित किया गया है, के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा आदेश एवं वाद लाम्बन काल में विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादी द्वारा किये गये निर्माण को ध्वस्त करने के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। वादिनी राजपति देवी के प्रार्थना पत्र 8ग पर पारित आदेश के अनुपालन में अधिवक्ता आयुक्त द्वारा वादिनी की उपस्थित में विवादित सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण कर कमिश्नर आख्या सह मानचित्र 13 ग प्रस्तुत की गयी। वादिनी या प्रतिवादी की ओर से कमिश्नर आख्या 13 ग के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। विचारण के अनुक्रम में वादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत तीन साक्षी परीक्षित कराये गये। तदोपरान्त प्रतिवादी के साक्षी परीक्षित होने के पश्चात पत्रावली अन्तिम बहस में नियत की गयी। बहस के स्तर पर वादिनी की ओर से आदेश 26 नियम 9 सि.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 77 ग प्रस्तुत किया गया और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता आयुक्त की आख्या 13ग का निस्तारण नहीं होने तथा अधिवक्ता आयुक्त आख्या 13 ग निस्तारण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.08.2025 प्रस्तुत किया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 09.10.2025 के द्वारा वादिनी के प्रार्थना पत्र 77ग को निरस्त किये जाने तथा पत्रावली पर संलग्न कमिश्नर आख्या 13ग को साक्ष्याधीन पुष्ट किये जाने का आदेश पारित किया गया। वादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र 77ग के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 09.10.2025 को इस पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी गयी है।

8. सर्व प्रथम प्रत्यर्थी–प्रतिवादी रामजतन की इस आपत्ति पर विचार किया जाता है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अन्तरवर्ती आदेश है, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने **Lalti Devi Vs. Bindu BiharI Verma, 2022 (157) RD 611** की विधि व्यवस्था में यह अवधारित किया गया है कि स्थानीय निरीक्षण करने एवं आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेश 26 नियम 9 सि.प्र.सं. के अधीन आयुक्त नियुक्त करने से इन्कार का आदेश एक 'निर्णीत वाद' है। अतः उक्त आदेश के विरुद्ध धारा 115 सि.प्र.सं. के अधीन पुनरीक्षण योग्य है। वादिनी की ओर से वादग्रस्त सम्पत्ति का न्यायालय अमीन या आयुक्त से स्थानीय निरीक्षण हेतु आदेश 26 नियम 9 सि.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 77 ग पर पारित आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि के अनुसार प्रश्नगत पुनरीक्षण पोषणीय है। प्रत्यर्थी–प्रतिवादी रामजतन की आपत्ति में विधिक बल नहीं है। अतः प्रत्यर्थी की आपत्ति खण्डित की जाती है।

9. पुनरीक्षणकर्ता–वादिनी का अभिकथन है कि प्रार्थना पत्र 77 ग वादग्रस्त सम्पत्ति के स्पष्टीकरण हेतु अमीन/कमिश्नर आख्या मंगाये जाने की याचना की गयी थी। जिससे कि वादग्रस्त सम्पत्ति की वास्तविक तथ्यपरक स्थिति अभिलेख पर आ सके। अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अधिवक्ता कमिश्नर आख्या 13 ग के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के अनुक्रम में अधिवक्ता कमिश्नर द्वारा निरीक्षण कर वादग्रस्त सम्पत्ति की चौहद्दी एवं परिमाप को वर्णित करते हुए मानचित्र के साथ विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त सम्पत्ति का पुनः निरीक्षण कर आख्या मंगाया जाना न्यायसंगत नहीं है। यह भी है कि वादिनी उभयपक्ष के साक्षियों के अभिसाक्ष्य के आलोक में वादग्रस्त सम्पत्ति का पुनः स्थल निरीक्षण कराना चाहता है। वादिनी का यह कृत्य न्यायालय के माध्यम से साक्ष्य संग्रह किये जाने की परिधि में में आता है। जो विधिक रूप से अनुज्ञेय नहीं है।

10. जैसा कि उपर उल्लेख है कि वादिनी के प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में अधिवक्ता आयुक्त द्वारा वादिनी की उपस्थिति में विवादित सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण के आख्या सह मानचित्र 13 ग प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता आयुक्त आख्या 13 ग अभिलेख पर दाखिल होने के उपरान्त पत्रावली बहस में नियत होने तक वादिनी की ओर से आयुक्त आख्या 13 ग के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। सम्पूर्ण विचारण अवधि में आयुक्त आख्या 13 ग के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्वमेव स्पष्ट है कि वादिनी को उसकी उपस्थिति में विवादित सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत की गयी आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक आयुक्त आख्या 13 ग के निस्तारण के उपरान्त पक्षकारों/वादिनी को साक्ष्य का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, वादिनी द्वारा प्रश्नगत पुनरीक्षण में इस आशय के अनुतोष की याचना नहीं की गयी है।

11. यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि सम्बन्धित मूलवाद संख्या 272/1993 लगभग 33 वर्ष प्राचीन है। मूलवाद में उभयपक्ष का साक्ष्य समाप्त होकर पत्रावली बहस में चल रही है। वादिनी प्रार्थना पत्र 77 ग के माध्यम से निर्णीत होने की स्थिति में पहुंचे प्राचीनतम वाद को पुनः साक्ष्य के स्तर पर ले जाकर उसके निस्तारण को विलम्बित करने चाहता है। पुनरीक्षणकर्ता–वादिनी को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए वाद के निस्तारण को विलम्बित करने की प्रदान नहीं की जा सकती है।

12. पूर्वोक्त विवेचन के आलोक में न्यायालय का अभिमत है कि अवर न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य, साक्ष्य तथा विधि के आलोक में आलोच्य आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 09.10.2025 में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अतः आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वादिनी की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण

आधारों में कोई विधिक बल नहीं है। तदनुसार पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ती द्वारा संस्थित पुनरीक्षण संख्या 152 सन 2025 निरस्त किया जाता है। विद्वान सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)/एफ.टी.सी., प्रयागराज द्वारा मूल वाद संख्या–272 सन 1993, राजपत्ती देवी –प्रति– रामजतन में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 09.10.2025 की पुष्टि की जाती है।

दिनांक–17.03.2026

(राम प्रताप सिंह राणा)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 1, प्रयागराज।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 17.03.2026

(राम प्रताप सिंह राणा)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 1, प्रयागराज।

Digitally signed by RAM PRATAP SINGH RANA
Date: 2026.03.18 10:39:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court